UPPG010016172026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय कक्ष संख्या–१, प्रतापगढ़।
पीठासीन अधिकारी–अजय कुमार–I (एच०जे०एस०),
जे०ओ० कोड–यू०पी०– 6395

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–562/2026

पवन पाण्डेय आयु करीब 23 साल सुत सतीश पाण्डेय निवासी ग्राम थाईपुर थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़।

..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ०प्र०। .....अभियोजन पक्ष

सत्र परीक्षण संख्या–104/2023
मु०अ०सं०–416/22
धारा–3/25 आर्म्स एक्ट
थाना–रानीगंज, **जिला**–प्रतापगढ़।

१. आवेदक/अभियुक्त पवन पाण्डेय की तरफ से यह जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

२. आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी एक शांतिप्रिय व्यक्ति है। प्रार्थी रोजी रोटी हेतु चला गया था। प्रार्थी के अधिवक्ता ने आश्वासन दिया था कि मुकदमे को मैं देखता रहूंगा, परन्तु प्रार्थी के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी हो गया है। प्रार्थी की मां की तबियत खराब होने के कारण अपने घर आया हुआ था तभी पुलिस ने प्रार्थी को गिरफ्तार कर लिया। प्रार्थी दिनांक 25.02.2026 से जेल में अवरुद्ध है। प्रार्थी से भविष्य में कोई गलती नहीं होगी और बराबर न्यायालय हाजिर आवेगा। प्रार्थी कभी का सजायाफ्ता नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध पंजीकृत सभी मुकदमे में जमानत हो चुकी है। प्रार्थी का अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो किसी अदालत में प्रस्तुत किया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खण्डपीठ में लंबित है। जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

३. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

Digitally signed by AJAY KUMAR
Date: 2026.03.07 14:37:29 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

४. **जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त** के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

५. **पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि** आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत मामले में पूर्व से जमानत पर था। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थी रोजी रोटी हेतु बाहर चला गया था। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मुकदमे को देखता रहूंगा, परन्तु प्रार्थी के विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी हो गया। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दौरान मुकदमा हाजिर अदालत आने एवं भविष्य में दोबारा गलती न करने का कथन किया गया है। आवेदक/अभियुक्त कभी का सजायाफ्ता नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 25.02.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **पवन पाण्डेय** की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र उसके द्वारा मु०–50,000/–(पचास हजार रूपये) का नया व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि की दो जमानतें दाखिल करने पर इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

दिनांक–06.03.2026
स्टेनो–वेद

(**अजय कुमार–I**)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, प्रतापगढ़।